राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN **& Phone No. 0141-2227033**
क्रमांकः एफ 61(157)SDS/SRP/DRP/चयन संबंधी / 2021—III 03505 / जयपुर, दिनांक As per E-sign

कार्यालय आदेश

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 61 (21) SSAAT/ नियमावली / 2019 / 7497 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 02 / 2020) एवं एफ. 61 (21) SSAAT/नियमावली / 2019 / 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10 / 2020) के तहत जिला संसाधन व्यक्तियों के सोसायटी में रिक्त पदों के विरुद्व सोसायटी के आदेश क्रमांक एफ 61(157)SSAAT/DRP/चयन संबंधी / 2022—23 / 3781 दिनांक 05.09.2023, एफ 61(157)SSAAT/DRP/चयन संबंधी / 2022—23 / 8091 दिनांक 07.03.2024 एवं एफ 61(157)SSAAT/DRP/चयन संबंधी / 2022—23 / 3252 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा निम्न व्यक्तियों को जिला संसाधन व्यक्ति के पद पर अस्थाई रुप से नियुक्त किया गया था।

S.No	District Resource Person (DRP)	Allotment District
1	Sahil Deswali	AJMER
2	Sabir Khan	ALWAR
3	Preeti Tripathi	ALWAR
4	Prakash Chandra Raval	BANSWARA
5	Kaushal Sharma	BARAN
6	Lal giri	BARMER
7	Mohan lal Meghawal	BHILWARA
8	Giriraj Kharol	BHILWARA
9	Deepak Kumawat	BHILWARA
10	Nandlal Sharma	BIKANER
11	Mahmood Ali	BUNDI
12	Poonam Verma	BUNDI
13	Imarta	CHURU
14	Hemant Gupta	DAUSA
15	Gajendra Singh Dagur	DHOLPUR
16	Akal Jot Singh	KOTA
17	Kapil Raj Purohit	RAJSAMAND
18	Ashvani Kumar-I	SHRI GANGANAGAR
19	Manoj Kumar Saini	SIKAR
20	Madhu Aacharya	HANUMANGARH
21	Akhilesh Pareek	DAUSA
22	Ram Kishan Saini	TONK

सोसायटी की और से जारी जिला संसाधन व्यक्ति चयन सम्बधी विनियम 2020 दिनांक 12.03.2020 के बिन्दू संख्या 05 (Viii) के प्रावधान के अनुसार चयनित व्यक्तियों के केवल एक वर्ष के लिए अनुबंध किए जाने व अनुबंध अवधि समाप्ति के बाद पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्वि न की जाकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक व पात्रताधारी / संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छटनी की जाकर आगामी एक वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किए जाने का प्रावधान होने के फलस्वरुप सोसायटी द्वारा उक्त 20 जिला संसाधन व्यक्तियों (क्रंस 01 से 20 तक) की अनुबंध अवधि दिनांक 05.09.2025 एवं 07.09.2025 को समाप्ति के बाद कार्य सम्पादन के सम्बंध में प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर सोसायटी के आदेश दिनांक 13.01.2026 द्वारा जिला संसाधन व्यक्तियों की अवधि अगले 06 माह तक अथवा नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो बढाई गई।

सोसायटी द्वारा उक्त 20 जिला संसाधन व्यक्तियों (क्रंस 1 से 20) जिनका अनुबंध 05.03.2026 एवं 07.03.2026 एवं 02 जिला संसाधन व्यक्तियों (क्रंस 21 एवं 22) की अवधि दिनांक 10.03.2026 को समाप्ति के बाद कुल 22 जिला संसाधन व्यक्तियों की अवधि अगले 06 माह तक अथवा नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो बढाई जाती है।

उपरोक्त 22 व्यक्तियों की जिला संसाधन व्यक्ति के रुप में ली जा रही संविदा सेवाए पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थाईकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में पेश नहीं किया जावेगा। उपरोक्त 22 जिला संसाधन व्यक्तियों द्वारा मासिक संविदा आधारित सेवा के लिए 500/— रूपये के नॉन जुडीशियल स्टॉम्प पर सलग्न प्रारुप में नए सिरे से अनुबन्ध पत्र (Agreement) उपरोक्त आदेश जारी होने के 10 दिवस में भरकर सोसायटी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांक एफ 61(157)SDS/SRP/DRP/चयन संबंधी/2021—III 03505/ जयपुर, दिनांक As per E-sign

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर सम्बंधित।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सम्बंधित।
3. मुख्य लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष सोसायटी (SSAAT)।
4. निजी सचिव, निदेशक (SSAAT)।
5. परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद सम्बंधित।
6. सामाजिक विकास विशेषज्ञ(SSAAT)।
7. सम्बंधित राज्य संसाधन व्यक्ति (SSAAT)।
8. श्री .... जिला संसाधन व्यक्ति सम्बंधित।
9. स्थापना शाखा/बिल शाखा (SSAAT) जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (SSAAT)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date :12-03-2026 03:46:06

RajKaj Ref No.: 20924172
eSign DSC

<u>अनुबन्ध पत्र</u>

यह अनुबंध आज दिनांक ....को **नाम**...
पद जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) पिता/पति का नाम ....
जन्म तिथि .... विवाहित/अविवाहित, निवासी ....
.... जिसे इसके पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है एवं जिसे इस अभिव्यक्ति में जहां सन्दर्भ में अनुकूल हो, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया हुआ समझा जावेंगा तथा **निदेशक,सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान सरकार** को जिसे इसके पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, एवं जिसे इस अभिव्यक्ति में जहां सन्दर्भ में अनुकूल हो, उसके पद के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं समुदेशितियों को सम्मिलित किया हुआ समझा जावेंगा, के मध्य निम्नानुसार सहमति के साथ किया जाता है।

1. <u>कार्य का नाम</u>– द्वितीय पक्ष के द्वारा जिला संसाधन व्यक्ति के रुप में 06 (छः) माह के संतोषप्रद कार्य किये जाने पर उनकी सेवाएं कार्यग्रहण दिनांक ....से आगामी 06 (छः) माह के लिए या नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो बढायी जा रही है।

2. <u>कार्य की सामान्य शर्तें</u>–
   a) ये संविदा सेवाएं पूर्णतया अस्थायी एवं मासिक संविदा पर आधारित है। भविष्य में प्रथम पक्ष द्वारा स्थाईकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में पेश अथवा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
   b) प्रथम पक्ष सरकार की पूर्वानुमति के बिना कोई पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा या किसी अन्य कार्य, व्यावसायिक व्यवसाय में संलग्न नहीं होंगे या कोई अध्ययन पाठ्यक्रम नहीं अपनाएंगे।
   c) चूंकि यह संविदा आधारित पद है अतः प्रथम पक्ष किसी भी परिस्थिति में सोसायटी या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं माने जायेगे।
   d) प्रथम पक्ष द्वारा बीच में स्वतः सेवा परित्याग करने या अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने या कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
   e) प्रथम पक्ष को प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सांयकाल 6.00 बजे तक कार्यरत रहेगें। आवश्यकता होने पर कार्यालय समय के बाद एवं अवकाश के दिन भी उपस्थिति देनी पडेगी। जिसके लिए प्रथम पक्ष को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
   f) संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष कोई अन्य कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा/करेगी।
   g) समस्त प्रकार के विधिक दायित्वों की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी इसके लिए सोसायटी जिम्मेदार नहीं होगी।
   h) विज्ञप्ति एवं अनुबंध पत्र में वर्णित शास्तियां (पूर्ण/आंशिक) लगाने/नहीं लगाने का पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्षकार को होगा जो कि प्रथम पक्ष को बिना किसी आपत्ति के मान्य होगा।

3. <u>पारिश्रमिक</u>–द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को सोसायटी के पत्रांकः एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/3832 दिनांकः 03.11.2021(आदेश सं. 55/2021), विज्ञापन सं. 01 में वर्णित अनुमोदित दरों एवं राशियों के अनुसार राशि रू. 20,000/– एवं नवीन मानदेय आदेश क्रमांक F15(5)(MISC)RD/GR-1/2024-08585 राजकाज नम्वर 18653816 दिनांक 06.11.2025 द्वारा 22000/– प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा। देय राशि में से नियमानुसार स्त्रोत पर वैधानिक कटौतियां(TDS etc.) की जायेगी, यदि देय हो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। जिले से बाहर यात्रा के दौरान नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

4. <u>अवकाश–</u>प्रथम पक्ष कैलेण्डर वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति अथवा सेवा समाप्ति पर पात्रता की गणना की जायेगी। आकस्मिक अवकाश पूरे महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिया जायेगा। उपयोग न किया गया अवकाश कैलेण्डर वर्ष के अंत में समाप्त हो जायेंगे।

5. <u>अनुबंध का भाग</u> :–सोसायटी के विनियम क्रमांकः एफ 61(21)SSAAT/ नियमावली/2019/7497 दिनांकः 12.03.2020, पत्रांकः एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/3832 दिनांकः 03.11.2021 (आदेश सं. 55/ 2021 विज्ञापन सं. 01), कार्यालय आदेश क्रमांकः एफ 61(157)SDS/SRP/DRP/चयन संबंधी/2021–III 03505/राजकाज नम्वर........................ दिनांक............................ अनुबंध के भाग होगें।

6. जिला संसाधन व्यक्ति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता करने पर, किसी भी प्रकार की मिली भगत/सांठगांठ कर अनियमितताओं को प्रकाश में नही लाने अथवा भ्रष्टाचार आदि कृत्यों में लिप्त होने पर अनुबंध समाप्त करने/हटाने की कार्यवाही द्वितीय पक्ष निदेशक (SSAAT) द्वारा की जावेगी।

7. <u>अनुबंध की अवधि</u>– यह अनुबंध कार्यग्रहण दिनांक .... से 06 (छः) माह के लिए या नवीन भर्ती होने तक जो भी पहले हो के लिए प्रभावी होगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में 15 दिवस का नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष (जिला संसाधन व्यक्ति)	**हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष** (निदेशक, SSAAT)
गवाह हस्ताक्षर	गवाह हस्ताक्षर
1. नाम...	1.नाम ....
पता..	पता..